इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मई 2024—ज्येष्ठ 10, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक 1236/मप्रविनिआ/2024—विद्युत अधिनियम की धारा 181(1) सहपठित धारा 39(2)(घ), धारा 40(ग), तथा धारा 42(2) एवं (3) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण—प्रथम) विनियम, 2021 {आरजी—24(I), वर्ष 2021} जिन्हें एतद्पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2021 में चतुर्थ संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2021 {एआरजी–24(I)(iv), वर्ष 2024}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 13 में संशोधन

2.1 मूल विनियमों के विनियम 13(क) के उप–विनियम 13.1 के उप–विनियम (सात) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :–

"परन्तु आगे यह और कि यदि कोई व्यक्ति निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसकी संविदा मांग की सीमा तक कर रहा हो तथा इसके स्थाई प्रभारों का भुगतान भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को कर रहा हो तो ऐसे अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई व्यक्ति वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसकी संविदा मांग के अतिरिक्त निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से विद्युत

की प्राप्ति कर रहा हो तो ऐसे अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि ऐसा अतिरिक्त अधिभार केवल उसी दशा में निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं हेतु प्रयोज्य होगा जो संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता हों या उपभोक्ता रहे हों।''

2.2 मूल विनियमों के विनियम 13(ख) के उप–विनियम (दो) के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''परन्तु आगे यह और कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के प्रकरण में, यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी से हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से संविदा/अनुबंधित मांग की सीमा तक विद्युत की प्राप्ति की जाती है तथा इससे संबंधित स्थाई प्रभारों का भुगतान वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाता है तो अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य **न** होगा :

परन्तु आगे यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसकी संविदा/अनुबंधित मांग के अतिरिक्त निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति कर रहा हो तो ऐसे अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि अतिरिक्त अधिभार हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु केवल उसी दशा में प्रयोज्य होगा जो संबंधित विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता हों या उपभोक्ता रहे हों।''

3. मूल विनियमों के विनियम 15 में संशोधन :

मूल विनियमों के विनियम 15 के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्न परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

''परन्तु आगे यह और कि यदि कोई व्यक्ति निर्बाध (खुली) पहुंच से विद्युत की प्राप्ति वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसकी संविदा/अनुबंधित मांग की सीमा तक कर रहा हो तो उसे उच्चतम मांग में समायोजन प्रदान नहीं किया जाएगा।''

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 24th May 2024

No. MPERC / 2024/1236 In exercise of powers conferred by Section 39(2)(d), 40(c), 42(2) and (3) read with Section 181(1) of the Electricity Act 2003, (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh)(Revision-I) Regulations, 2021 ({RG-24(I) of 2021} herein after referred to as the "**Principal Regulations**" namely: -

FOURTH AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (TERMS AND CONDITIONS FOR INTRA-STATE OPEN ACCESS IN MADHYA PRADESH) (REVISION-I) REGULATIONS, 2021

1. Short Title and Commencement-

1.1. These Regulations shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Intra-State Open Access in Madhya Pradesh) Regulations, (Revision-I) 2021 (Fourth Amendment) {ARG-24(I)(iv) of 2024}**".

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Amendment to Regulation 13 of the Principal Regulations.

2.1 **Following provisos shall be inserted after 1st proviso to sub-regulation (vii) of sub-regulation 13.1 of regulation 13 (A) of the Principle Regulations, namely: -**

"Provided further that such additional surcharge shall not be levied in case a person is availing power from open access up to the extent of his contract demand with Distribution Licensee and fixed charges thereof are paid to the Distribution Licensee:

Provided also that such additional surcharge shall be levied in case a person is availing power from open access over and above his contract demand with Distribution Licensee:

Provided also that additional surcharge shall be applicable only for the open access consumers who are or have been consumers of the concerned Distribution Licensee."

2.2 **The 2nd proviso to sub-regulation (ii) of regulation 13 (B) of the Principle Regulations, shall be substituted by following provisos, namely: -**

"Provided further that additional surcharge shall not be applicable in case of green energy open access consumer, if the power from green energy open access is availed up to the extent of his contract demand with Distribution Licensee and fixed charges thereof are paid to the Distribution Licensee:

Provided also that such additional surcharge shall be levied in case green energy open access consumer is availing power from open access over and above his contract demand with Distribution Licensee:

Provided also that additional surcharge shall be applicable only for the green energy open access consumers who are or have been consumers of the concerned Distribution Licensee."

3. Amendment to Regulation 15 of the Principal Regulations.

Following proviso shall be inserted after 1st proviso of Regulation 15 of the Principal Regulations, namely: -

Provided further that no adjustment in maximum demand shall be given in case a person is availing power from open access up to the extent of his contract demand with Distribution Licensee:

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक 1237/मप्रविनिआ/2023—विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित उसकी धारा 42, धारा 61 तथा धारा 86 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम 2023 (जी—46, वर्ष 2023), जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 में द्वितीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2023" {एजी 46 (ii), वर्ष 2024}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 9 में संशोधन

2.1 मूल विनियमों के विनियम 9 के द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्न परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"परन्तु आगे यह और कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ संविदा/अनुबंधित मांग की सीमा तक विद्युत की प्राप्ति निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई प्रभारों का भुगतान कर रहा हो तो उस पर अतिरिक्त अधिभार अधिरोपित नहीं किया जाएगा।"

2.2 विनियम 9 के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् दो परन्तुक विनियम 9 के तृतीय तथा चतुर्थ परन्तुकों के रूप में अन्तःस्थापित किये जाएं तथा विद्यमान तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्टम परन्तुक इन परन्तुकों के पश्चात् जारी रखे जाएं तथा तद्नुसार इन्हें क्रमशः पंचम, षष्टम, सप्तम तथा अष्टम परन्तुकों के रूप में पढ़ा जाए, अर्थात्:

"परन्तु आगे यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उसकी संविदा/अनुबंधित मांग के अतिरिक्त निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से विद्युत की प्राप्ति कर रहा हो तो ऐसे अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि अतिरिक्त अधिभार हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं हेतु केवल उसी दशा में लागू होगा जो संबंधित विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता हों या उपभोक्ता रहे हों।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 24th May 2024

No.1237/MPERC/2024 In exercise of the powers conferred under Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with Section 42, Section 61 and Section 86 thereof and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh State Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulations to amend Madhya Pradesh State Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations. 2023 (G-46 of 2023), herein after referred to as **"Principal Regulations"**, namely-

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (METHODOLOGY FOR DETERMINATION OF OPEN ACCESS CHARGES AND BANKING CHARGES FOR GREEN ENERGY OPEN ACCESS CONSUMERS) REGULATIONS, 2023

1. **Short Title and Commencement-**

1.1. These Regulations shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Methodology for determination of Open Access charges and Banking charges for Green Energy Open Access consumers) Regulations, 2023 (Second Amendments) (AG-46 (ii) of 2024)".**

1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Amendment to Regulation 9 of the Principal Regulations:

2.1. 2nd proviso of Regulation 9 of the Principle Regulations shall be substituted by following proviso, namely:

"Provided further that additional surcharge shall not be levied in case green energy open access consumer is availing power from open access upto the extent of his contract demand with Distribution Licensee and fixed charges thereof are paid to the Distribution Licensee:"

2.2. Following two provisos shall be inserted after the second proviso of Regulation 9 as third and fourth provisos to Regulation 9 and the existing third, fourth, fifth, and sixth provisos shall continue thereafter and be read as fifth, sixth, seventh and eighth provisos, respectively, namely:

"Provided also that such additional surcharge shall be levied in case green energy open access consumer is availing power from open access over and above his contract demand with Distribution Licensee:

Provided also that additional surcharge shall be applicable only for the green energy open access consumers who are or have been consumers of the concerned Distribution Licensee:"

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक– 1238....... /मप्रविनिआ/2024. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 की उप–धारा (1) और धारा 181 की उप–धारा (2) की धारा (फ) एवं (ब) सहपठित धारा (47) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 (आरजी–17, वर्ष 2009) जिन्हें एतद् पश्चात् **"मूल विनियम"** निर्दिष्ट किया गया है, में निमनुसार संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 में तृतीय संशोधन {एआरजी–17(i)(iii), वर्ष 2024}

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रांरभ :**

1.1 यह संशोधन **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण–प्रथम) (तृतीय संशोधन), विनियम, 2009 {एआरजी–17(i)(iii), वर्ष 2024}"** कहलाएगा।

1.2 यह संशोधन सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होगा।

1.3 यह संशोधन मध्यप्रदेश राज्य के "राजपत्र" में इसकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होगा।

2. **मूल विनियमों के विनियम 1 में संशोधन :**

मूल विनियमों के विनियम 1.22 के स्थान पर निम्न नवीन विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"1.22 उपभोक्ता से स्वीकार की गई प्रतिभूति निक्षेप नगद राशि पर, अनुज्ञप्तिधारी बैंक दर पर (संबंधित वित्तीय वर्ष की एक अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित दर पर) ब्याज देगा। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित बैंक दर की जानकारी सुनिश्चित करने तथा बिलिंग क्रियाविधि के माध्यम से उपभोक्ताओं को सूचित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा :

परन्तु यह कि नगद प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नगद प्रतिभूति निक्षेप प्राप्ति की तिथि से इसे धारित रखे जाने की तिथि तक देय होगा :

परन्तु आगे यह और कि नगद प्रतिभूति निक्षेप की प्राप्ति की तिथि से प्रथम बिलिंग माह के चालू होने की तिथि तक की अवधि के ब्याज का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को जारी किये जाने वाले प्रथम देयक में आकलित (क्रेडिट)किया जाएगा।"

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 24th May 2024

No 1238/MPERC/2024- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 181, Sub-section (2) (v) and (w) of Section 181 read with Section 47 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendment to the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision- I) Regulations, 2009 {RG- 17(I) of 2009}, hereinafter referred as "**Principal Regulations**", namely: -

Third Amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision-I) Regulations, 2009 [ARG- 17(I)(iii) of 2024]

1. Short Title and Commencement-

1.1 This amendment shall be called Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) (Revision-I) (Third Amendment) Regulations, 2009.

1.2 It shall extend to whole of the State of Madhya Pradesh.

1.3 It shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette of Govt of Madhya Pradesh.

2. Amendment to the Regulation 1 of the Principal Regulations:

Regulation 1.22 of the Principal Regulations shall be substituted by a new regulation, namely: -

"1.22 The Licensee shall pay interest, at the Bank Rate {Reserve Bank of India (RBI) rate as prevailing on 1st April of concerned Financial Year}, on Cash Security Deposits accepted from the consumer. It shall be the responsibility of the Licensee to ascertain the prevailing Bank Rate from RBI and to inform the consumers through the Billing mechanism :

Provided that the interest on Cash Security Deposit shall be payable by the Licensee from the date of receipt of such Cash Security Deposit till it is retained by the Licensee :

Provided further that the interest for the period from date of receipt of Cash Security Deposit till the date of commencement of first billing month shall be credited in the first bill of the consumer to be issued by Licensee."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2024

क्रमांक 1239/मप्रविनिआ/2024–विद्युत अधिनियम, 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) के साथ पठित धारा 43(1), धारा 44, धारा 45, धारा 46, धारा 47, धारा 48(ख), धारा 50, धारा 56, धारा 181(2)(ब) एवं धारा 181(2)(भ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4,वर्ष 2001) की धारा 9(ञ) के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 {क्रमांक आरजी–I(II), वर्ष 2021} जिसे एतद् पश्चात् **"मूल संहिता"** विनिर्दिष्ट किया गया है, में संशोधन करने हेतु निम्न संहिता बनाता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में तृतीय संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1.1 यह संहिता **"मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 (तृतीय संशोधन) {एआरजी–I (II)(iii), वर्ष 2024}"** कहलाएगी।

1.2 यह संहिता मध्यप्रदेश के शासकीय "राजपत्र" में इसकी प्रकाशन तिथि से लागू होगी।

2. मूल संहिता के अध्याय 2 में संशोधन

2.1 खण्ड–2.1 के उप–खण्ड (डड) के पश्चात् निम्न उप–खण्ड (डड1) अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(डड1) "स्वामी (Owner)" से अभिप्रेत है व्यक्ति जो सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार धारित करता हो तथा अभिव्यक्ति स्वामी में कानूनी उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे ;"

2.2 मूल संहिता के खण्ड–2.1 के उप–खण्ड (गग) के स्थान पर निम्न उप–खण्ड (गग) स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(गग) "समूह उपयोगकर्ता (Group user) या रहवासी कल्याण संघ (Resident Welfare Association)" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता हो या, कोई संघ जिसमें मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत समस्त सम्पत्ति स्वामी, बहुमंजिला

भवन (Multi storied Building), आवासीय कालोनी (Residential Colony), या राज्य शासन के साथ पंजीकृत इसी प्रकार का कोई निकाय, सम्मिलित होंगे ;"

3. मूल संहिता के अध्याय 4 में संशोधन

3.1 मूल संहिता के खण्ड 4.65 में निम्नानुसार संशोधन किया जाए, अर्थात् :

खण्ड 4.65 में उल्लेखित शब्दों "सात दिवस के भीतर" के स्थान पर शब्द "तत्काल" स्थापित किया जाए।

3.2 मूल संहिता के खण्ड 4.67 के पश्चात् निम्न पांच परन्तुक अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी कल्याण संघ (Residential Welfare Association) हेतु या तो एकल बिन्दु संयोजन (Single Point Connection) प्रदान करेगा या फिर प्रत्येक रहवासी कल्याण संघ में गृह और/या फ्लेट स्वामियों के बहुमत चयन के आधार पर प्रत्येक स्वामी को व्यक्तिगत संयोजन (Individual Connections) प्रदान करेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चयन (Choice) को पारदर्शी (ballot) मतदान प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि यदि पचास प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक संख्या में स्वामी (Owners) व्यक्तिगत संयोजन को वरीयता प्रदान करते हों तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक स्वामी को व्यक्तिगत संयोजन प्रदान किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि यदि स्वामियों की पचास प्रतिशत से अधिक संख्या एकल बिन्दु संयोजन (Single Point Connection) को वरीयता प्रदान करती हों तो रहवासी कल्याण संघ हेतु ऐसे गृहों और/या स्वामियों को एकल बिन्दु संयोजन प्रदान किये जाएंगे जिनके द्वारा एकल बिन्दु संयोजन के लिये विकल्प प्रदान किया गया है, जबकि ऐसे गृहों और/या स्वामियों हेतु जो एकल बिन्दु संयोजन हेतु विकल्प प्रदान नहीं करते, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मूल संहिता के विनियम 4.84 के अनुसार ऐसे व्यक्तियों

को संयोजनों की व्यवस्था के अध्यधीन प्रत्येक गृह और/या ऐसे स्वामियों को व्यक्तिगत संयोजन प्रदान किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि एकल बिन्दु संयोजन के प्रकरण में रहवासी कल्याण संघ ऐसे गृहों और/या स्वामियों के संयोजनों की मापयन्त्रीय (मीटरिंग) व्यवस्था, बिलिंग तथा धनराशि के संग्रहण हेतु उत्तरदायी होगा जिनके द्वारा रहवासी कल्याण संघ हेतु एकल बिन्दु संयोजन के लिये विकल्प प्रदान किया गया है जबकि ऐसे गृहों और/या स्वामियों हेतु जिनके द्वारा एकल बिन्दु संयोजन हेतु विकल्प प्रदान न किया गया हो वहां ये उत्तरदायित्व वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि रहवासी कल्याण संघ द्वारा मापयन्त्रीय (मीटरिंग) व्यवस्था, बिलिंग तथा धनराशि के संग्रहण हेतु की गई अतिरिक्त सहयोग (back-up) विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु, यदि कोई हो, हेतु व्यक्तिगत संयोजनों की व्यवस्था रहवासी कल्याण संघ द्वारा पृथक से की जाएगी।''

3.3 मूल संहिता के खण्ड 4.83 के पश्चात् दो परन्तुक निम्नानुसार अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :

''परन्तु यह कि रहवासी कल्याण संघ या वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, यथास्थिति, व्यक्तिगत गृह स्वामियों को आयोग द्वारा सुसंगत खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (Retail Supply Tariff) आदेश के अनुसार निर्दिष्ट दर तथा रीति के अनुसार बिल जारी किये जाएंगे :

परन्तु आगे यह और कि समस्त व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के परिसरों तक विद्युत प्रदाय व्यवस्था हेतु रहवासी कल्याण संघ के एकल बिन्दु संयोजन के अधीन या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से व्यक्तिगत संयोजनों के रूप में, भले ही उसका लाभ प्राप्त न भी किया गया हो, हेतु अतिरिक्त राशि जैसा कि आयोग द्वारा खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अन्तर्गत अवधारित की जाए, रहवासी कल्याण संघ द्वारा उपगत (incur) की गई उप–वितरण नेटवर्क लागत उपभोक्ताओं से वसूल की जाएगी।''

3.4　मूल संहिता के खण्ड 4.84 के में संशोधन बाबत हिन्दी संस्करण में संशोधन आवश्यक नहीं है।

3.5　मूल संहिता के खण्ड 4.84 के उप–खण्ड (एक) के पश्चात् निम्न दो परन्तुक अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात् :

"परन्तु यह कि रहवासी कल्याण संघ या रहवासी कल्याण संघ के किसी फ्लेट के स्वामी द्वारा अनुरोध किये जाने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र या गैरेज में स्थान की उपलब्धता के अध्यधीन विद्युत वाहन आवेशन (चार्जिंग) प्रणाली के लिये विद्युत आपूर्ति हेतु पृथक संयोजन प्रदान किया जाएगा :

परन्तु आगे यह और कि रहवासी कल्याण संघ में स्वतंत्र गृहस्वामी (फ्लेट स्वामियों को छोड़कर) को विद्युत वाहन आवेशन (चार्जिंग) प्रयोजन हेतु अपने घरेलू संयोजन का उपयोग प्रचलित खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार करने की पात्रता होगी।"

4.　मूल संहिता के अध्याय 8 में संशोधन

4.1　मूल संहिता के खण्ड 8.24 के स्थान पर एक नवीन खण्ड 8.24 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"8.24. मापयन्त्र के बन्द हो जाने पर, मापयन्त्र की सील क्षतिग्रस्त हो जाने, मापयन्त्र के जल जाने या उसके क्षतिग्रस्त हो जाने पर या फिर इसी प्रकार की अन्य घटना के प्रकरण में भी उपभोक्ता द्वारा इसे विनियम 8.23 के अनुसार कतिपय सूचना या शिकायत के माध्यम से प्रतिवेदित किये जाने पर या अनुज्ञप्तिधारी के किसी पदाधिकारी द्वारा नियतकालिक या अन्य निरीक्षण के दौरान भी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से इस बारे में सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर सात दिवस के भीतर मापयन्त्र का परीक्षण किया जा सकेगा :

"परन्तु यह कि मापयन्त्र वाचन (मीटर रीडिंग) के बारे में उपभोक्ता से शिकायत प्राप्त होने पर जो उसकी विद्युत खपत के अनुरूप न होने के बारे में हो, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी शिकायत

प्राप्त होने के पांच दिवस के भीतर विद्युत की खपत के सत्यापन हेतु न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु अतिरिक्त मापयन्त्र की स्थापना करेगा। यदि तीन माह की इस अवधि के दौरान मुख्य मापयन्त्र (main meter) तथा अतिरिक्त मापयन्त्र (additional meter) में सुसंबद्ध भारतीय मानक (IS) के अनुसार विनिर्दिष्ट विद्युत की खपत अनुज्ञेय परिशुद्ध सीमाओं (permissible accuracy limits) से अधिक पाई जाती है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तीन माह की पर्यवेक्षण अवधि (observation period) समाप्त होने के सात दिवस के भीतर मुख्य मापयन्त्र का परीक्षण किया जाएगा।''

4.2 मूल संहिता के खण्ड 8.52 के स्थान पर एक नवीन खण्ड 8.52 निम्नानुसार स्थापित किया जाए, अर्थात् :

''8.52. समस्त उपभोक्ताओं के बारे में, भले ही वे मीटरीकृत हों या अमीटरीकृत, हेतु देयक (बिल), प्रयोज्य प्रभारों, बकाया राशि, यदि कोई हो, कुल देय राशि, देयक दिनांक, देय भुगतान की अन्तिम तिथि, आदि तथा अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, संबंधी विवरण आयोग के आदेशानुसार जारी किया जाएगा। मीटरीकृत उपभोक्ता संबंधी देयक में, तथापि, मापयन्त्र वाचन के विवरण तथा खपत संबंधी विवरण भी सम्मिलित किये जाएंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयक सरल प्ररूप में जारी किये जाएंगे जिन्हें उपभोक्ताओं द्वारा आसानी से समझा जा सके। वितरण अनुज्ञप्तिधारी देयकों को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में जारी किये जाने संबंधी सुविधा अपनी वेबसाइट तथा अन्य अनुप्रयोगों (applications) के माध्यम से सृजन करने की व्यवस्था करेगा।''

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

Bhopal, the 24th May 2024

No. MPERC /2024/1239 In exercise of the powers conferred under Section 181(1) read with Section 43(1), Section 44, Section 45, Section 46, Section 47, Section 48 (b), Section 50, Section 56, Section 181(2)(w), Section 181(2)(x) of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003) and Section 9(j) of Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Supply Code, 2021 (No. RG- 1(II) of 2021) herein after referred to as the **'Principal Code'** namely: -

THIRD AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY SUPPLY CODE, 2021

1. Short Title and Commencement-

1.1. This Code shall be called **"Madhya Pradesh Electricity Supply Code 2021 (Third Amendment) [ARG-1(II)(iii) of 2024]".**

1.2. This Code shall come into force from the date of its publication in the official Gazette of Government of Madhya Pradesh.

2. Amendment to Chapter 2 of the Principal Code:

2.1. **Following sub-clause (mm1) shall be inserted after sub-clause (mm) of clause-2.1, namely:**

"(mm1) "Owner" means the person who is having absolute right over the property and the expression owner includes the legal heirs;"

2.2. **Following sub-clause (cc) of clause- 2.1 of the Principal Code shall be substituted by following clause, namely:**

"(cc) "Group user or Resident Welfare Association" means an association, comprising all the property owners within a Co-operative Group Housing Society registered under the M.P. Co-operative Societies Act, Multi storied Building, Residential Colony, or a similar body registered with the State Government, or a person representing his employees;"

3. Amendment to Chapter 4 of the Principal Code:

3.1. **Following amendment shall be made in clause 4.65 of the Principal Code, namely:**

Words "within seven days" in the last paragraph of clause 4.65 of the Principal Code shall be substituted by the word "immediately".

3.2. **Following five provisos shall be inserted after Clause 4.67 of the Principal Code, namely:**

"Provided that the Distribution Licensee shall provide either a single point connection for the Resident Welfare Association or individual connections for each and every owner, on the basis of choice of the majority of the house owners and / or flat owners in such Resident Welfare Association and the choice shall be ascertained by means of a transparent ballot to be held by the Distribution Licensee:

Provided further that if more than or equal to fifty percent of the owners prefer individual connection, the individual connection shall be given to each owner by the Distribution Licensee:

Provided also that if more than fifty percent of the owners prefer single point connection, a single point connection shall be given to the Resident Welfare Association only for those house owners and/ or flat owners, who have opted for a single point connection for Resident Welfare Association, whereas for the remaining house owners and /or flat owners not opting for a single point connection, individual connections shall be given by the Distribution Licensee subject to the arrangement of connections to these persons as per regulation 4.84 of the Principal Code:

Provided also that in case of a single point connection, the Resident Welfare Association shall be responsible for metering, billing and collection of connections of those house owners and/ or flat owners, who have opted for a single point connection for Resident Welfare Association, whereas for the remaining owners not opting for a single point connection, these responsibilities shall vest with the Distribution Licensee:

Provided also that the metering, billing and collection of back-up power supply made by the Resident Welfare Association, if any, to the individual connections shall be done by the Resident Welfare Association separately."

3.3. **Following two provisos shall be inserted after Clause 4.83 of the Principal Code, namely:**

Provided that the Resident Welfare Association or Distribution Licensee shall raise the bills to individual house owners as the case may be at the rate and manner as prescribed in the relevant Retail Supply tariff order issued by the Commission:

Provided further that an additional amount as determined by the Commission in Retail Supply Tariff order may be charged by the Resident Welfare Association towards the sub-distribution network cost incurred for providing electricity up to the premises of all the individual consumers irrespective of their availing supply under single point connection of Resident Welfare Association or by way of individual connections from Distribution Licensee."

3.4. **Following amendment shall be made in Clause 4.84 of the Principal Code, namely:**

"Words 'Provided that' in the beginning of the clause shall be deleted and 'notwithstanding' shall be substituted by 'Notwithstanding'.

3.5 **Following two Provisos shall be inserted after Sub clause (i) of the Clause 4.84 of the Principal Code, namely:**

"Provided that on the request of a Resident Welfare Association or an owner of the flat in a Resident Welfare Association, the Distribution Licensee shall provide a separate connection for supply of electricity for Electric Vehicle charging system subject to availability of space in parking area or garage:

Provided further that independent house owners (other than flat owners) in a Resident Welfare Association shall be entitled to use their domestic connection for Electric Vehicle Charging purpose as per extant retail supply tariff order."

4. **Amendment to Chapter 8 of the Principal Code:**

4.1. **Clause 8.24 of the Principal Code shall be substituted by a new clause 8.24, namely:**

"8.24 In case of stoppage of meter, damage to the seal, burning or damage of the meter, and the like, is reported by the staff of the Distribution Licensee during periodic or other inspection or by the consumer by way of an intimation in accordance to Regulation 8.23 or a complaint, the testing of meter shall be done by the Distribution Licensee within seven days of receipt of such intimation or complaint from the consumer:

Provided that in case of a complaint by a consumer regarding meter reading not being commensurate with his consumption of electricity, Distribution Licensee shall install an additional meter within five days from the

date of receipt of the complaint, to verify the consumption, for a minimum period of three months. If during this period of three months, the difference in consumption recorded by main meter and additional meter exceeds by more than the permissible accuracy limits prescribed in the relevant IS, the testing of main meter shall be done by the Distribution Licensee within seven days from the expiry of observation period of three months."

4.2 Clause 8.52 of the Principal Code shall be substituted by a new clause 8.52 as follows, namely: -

"The bill for all the consumers whether metered or unmetered shall have the details of consumer, applicable charges, arrears, if any, total amount payable, date of bill, due date for payment etc and additional information, if any, as per direction of the Commission. Bill for metered consumer shall however also contain details of reading and consumption. The Licensee from time to time may also provide any additional information that may be required:

Provided that the bills issued by the Distribution Licensee shall be in simple format which can be understand easily by the consumers. The Distribution Licensee shall enable the facility of generating bills in English and in Hindi language on its website or through other applications."

By order of the Commission,
UMAKANTA PANDA, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.